न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–डा.गुंजन सोनी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 125/2017

लक्ष्मण शर्मा पुत्र श्री छोगाराम जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री रामप्रताप तिवाडी, कैलाश पारीक, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़ की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 6-11-19

1 यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 31.08.2008 जिसके द्वारा अपीलांटगण के मामा रेड़ाराम पुत्र छोगाराम के नाम टी.सी. आंवटित भूमि वाके रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 485/19 की 6.325 है0 भूमि पैराफेरी में मानकर खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2 अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2006 अपीलांट को सुने बिना, बिना साक्ष्य के एवं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा क त को निरस्त किया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स के मामा रेडाराम पुत्र छोगाराम को कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 485/19 की 6.325 है भूमि आराजी काश्त पर आवंटित हुई थी जिसका समय–समय पर नवीनीकरण सम्वत 2061 तक होता रहा है व रकम कायम होती रही तथा कब्जा बदस्तूर बना रहा। अपीलांट के पिता द्वारा उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। पटवारी हल्का ने पूर्णतया एक तरफा रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में आता है व शर्तों का उल्लंघन किया है। मातहत न्यायालय ने मात्र पटवारी रिपोर्ट की आधार अपीलांट का रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर उक्त रकबा खारिज कर दिया जबकि अपीलांट का उक्त रकबा 2 किमी की ज्यादा दूरी पर है अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। अपीलाधीन भूमि का टी.सी. आवंटन निरस्त करने बाबत किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। आवंटी रेडाराम की मृत्यु 10.05.1982 को हो गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के विरूद्व समस्त कार्यवाही की है जो शुरू से ही नियम विरूद्व व शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय को टी.सी. रकबा खारिज करने का अधिकार नहीं है।

3 अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश पारीक उपस्थित आये व पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4 अधिवक्ता अपीलांट्स ने फार्म न. 3 के साथ रेडाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र व नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट ही आवंटी रेडाराम का एकमात्र जायज है व उसी हैसियत से अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स के मामा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

(104)

रेडाराम को कस्बा सूरतगढ़ का खसरा नं. 485/19 की 6.325 है भूमि आराजी काश्त पर भूमि आवंटित हुई थी जिसका समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा कब्जा बदस्तूर बना रहा। आवंटी रेडाराम द्वारा उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया गया। पटवारी हल्का द्वारा अदालत मातहत को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलांट का उक्त रकबा नगरपालिका क्षेत्र की 2 किमी की परिधी में आ चुका है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही अपने निर्णय का आधार बनाया कर शर्तो का उल्लघन मानकर समस्त कार्यवाही कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्तर पर कतई जांच नही की व पटवारी के बयान भी नहीं लिये गये। यदि न्यायालय द्वारा अपने स्तर पर जांच की जाती तो ही उन्हे पता चलता कि प्रार्थी का रकबा नगरपालिका के क्षेत्र के 2 किमी के दायरे में नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना विधिवित तामील कराये अपीलांट के पीठ पीछे, इकतरफा निर्णय पारित कर दिया। सवार द्वारा मकान बन्द बताकर चस्पान्गी द्वारा नोटिस तामील होना बताया गया। जबकि सवार को मकान पर नोटिस चस्पा करने के आदेश ही नहीं थे व न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित किया गया। मातहत न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिक्रार से बाहर जाकर फैसला सुनाया है, क्योंकि उक्त भूमि अपीलांट को श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर की अनुशंसा से ही कमेटी में अलॉट की गई थी। मातहत न्यायालय को उक्त आवंटित भूमि निरस्त करने का अधिकार नही था। उक्त निर्णय साईक्लोस्टाईल फैसला की तारिफ में आता है। जिसमे विवके का इस्तेमाल नहीं किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2017 पेज 445, कालो. एक्ट पेज 277, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या 8376/2006 अनवान मल्लूराम पुत्र छप्पनदास बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02. 2013 की प्रति, राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 पेज 133, आर.एल. डबल्यू. 2016 (1) आर.जे. पेज 413, आर.एल. डब्ल्यू. 2010 (1) आर.जे. पेज 174 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में भी तहसीलदार ने अपने आदेश में राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई काश्त पट्टा) शर्त 1955 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वेस्ट लेण्ड हेतु बने नियम 1956 के आधार पर पारित कर आवंटी पारा देवी का टीसी आवंटन निरस्त कर दिया। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई काश्त पट्टा) शर्ते 1955 के अन्तर्गत अस्थाई काश्त पट्टा (टी.सी. लीज) निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को प्राप्त नहीं है। बल्कि शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्त्यिां जिला कलक्टर को प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है जो कि विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।" चूंकि मुझे किया गया आवंटन भी राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 के तहत हुआ है। जिसे खारिज करने का अधिकार तहसीलदार को नही है। इस रकबा के बाबत पटवारी हल्का ने नगरपालिका सीमा यानि पैराफेरी में आया टी.सी. आवंटित रकबा मानकर शर्तो का उल्लंघन दर्शाकर मातहत न्यायालय को रिपोर्ट भेजी, जबकि उस दिन से पहले ही अपीलांट के मामा फौत हो चुका था । व मातहत न्यायालय ने दिनांक 31.08.2006 को अपीलांट के दादा के नाम के रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 485/19 की 6.325 है0 भूमि के टी.सी. आवंटन को खारिज कर दिया। जैर अपील आदेश अपीलांट के मामा के फौत होनें के पश्चात बिना अपीलांट को पक्षकार बनाये अपीलांट के पीठ के पीछे पारित किया गया है। इस प्रकार मृत व्यक्ति के खिलाफ किया गया निर्णय शुरू से शून्य है, उक्त निर्णय का कोई आधार ही नही है। साथ ही न्यायिक दृष्टांत आरलडब्ल्यू 2010 पेज 174 आरआरडी 199 पेज 346 कर निवेदन है कि यदि रेस्पोडेंट कों विधिवत नोटिस तामील नही हुए है तो मियाद जानकारी की तिथि से मानी जानी चाहिए अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 31.08.2006 खारिज किया जावे।

5 पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि जैरअपील रकबा पैराफेरी में है। राज्य सरकार के परिपत्रः राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 की अनुपालना में ही उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलांट को नियमानुसार ही नोटिस तामील करावाया गया है। अतः की गई कार्यवाही नियमानुसार ही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है तथा जिसका रेस्पोडेंट द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है। इसलिये प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 03..06.2006 में यह तथ्य अंकित किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 485/19 की 6.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

.5 है0 भूमि अपीलांटस के मामा को टी.सी. पर आवंटन हुई थी जो नियमानुसार नवीनीकरण होती रही। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त टी.सी. आवंटन राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए निरस्त की गई है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) 1955 की शर्तो व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अतर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने नियमों के नियम सन 1996 के अंतर्गत उक्त अस्थाई आवंटन खारिज किया गया है। परन्तु अस्थाई आवंटी द्वारा किन–2 शर्तो का उल्लंघन किया गया है यह अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित नहीं किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलाधीन भूमि का टी.सी. नवीनीकरण होना अंकित किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो इस प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि अपीलाधीन भूमि अपीलांटस के पिता लक्ष्मणदास पुत्र हजारीलाल को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प.9(25)राज./16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरी क्षेत्र में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अुनसार जिला कलक्टर महोदय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन है जिसे कायम रखा जाना उचित नहीं है।

अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 31.08.2006 को पारित निर्णय निरस्त किया जाता है। चूंकि आवंटी रेडाराम का देहान्त दिनांक 10.05.1982 को हो चुका है व नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा अपीलांट लक्ष्मण शर्मा को उनका जायज वारिस मानकर सदस्य प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि आवंटी रेडाराम के वारिसान की जांच कर उक्त टी.सी. का अंकन नियमानुसार आवंटी के वारिसान के नाम से दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.11.19

(डॉ0गुंजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सूरतगढ़
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner